अल्प कालीन निविदा सूचना

लोक निर्माण विभाग या अन्य शासकीय विभागों मे पंजीकृत निर्माण कार्यो के अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त तथा निम्न शर्तो को पूर्ण करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा दिनॉक 29.10.2015 अपरान्हन 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनॉक 13.10.2015 से 28.10.2015 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क (व्यापार कर सहित) जमाकर प्राप्त की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (भवन निर्माण कार्य)
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टॉडी में नव निर्मित भवन का अवशेष कार्य	रू0 570.00	रू0 14500.00	2 माह	1 माह	"डी"
2	सोमेश्वर(जिला–अल्मोड़ा) में गैस गोदाम का निर्माण कार्य।	रू0 570.00	रू0 32000.00	4 माह	1 माह	"डी"
3	मासी भूमिया मंदिर में अवशेष कार्य।	रू0 175.00	रू0 12000.00	3 माह	1 माह	"डी"
4	तुराचौरा मंदिर में अवशेष कार्य।	रू0 175.00	रू0 8000.00	2 माह	1 माह	"डी"
5	देघाट स्याल्दे मंदिर में अवशेष कार्य।	रू0 175.00	रू0 6000.00	2 माह	1 माह	"डी"

शर्तें:– किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं www.kmvn.gov.in में देखी जा सकती हैं ।

निविदादाता को निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य है:–

1– निविदा केवल पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा क्रय करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2– निविदा के साथ रू0 100/- का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1/- का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है ।

3– अपूर्ण, सशर्त एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी ।

4– निविदा में मात्रायें घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

5– अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।

6– निविदा के साथ बिक्री कर एवं आयकर पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7– अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक, एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8– अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प डियूटी लगाना आवश्यक है।

9– निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23–999–11/96लो.नि.वि. के अनुभाग–9 लखनऊ दिनॉक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।

10– यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं, तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। जिस कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

11– ठेकेदार को भवन निर्माण कार्य का अनुभव होना चाहिए।

12– क्रम संख्या 2 के कार्य में सर्विस टैक्स की देयता होगी। अतः निविदा के साथ सर्विस टैक्स विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13– निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।

14– क्रम संख्या (2) के कार्य हेतु विधायक निधि से पॉच लाख की तीन किस्त मिलनी है। द्वितिय किस्त यदि समय पर प्राप्त न होने की दशा में अनुबन्ध को प्राप्त राशि पर ही समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(विजय कुमार)
महाप्रबन्धक(नि0)

कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल

पत्रांक 4437/10–77/ निर्माण/15–16 दिनांक 12-10-2015

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– महाप्रबन्धक (नि0) को सूचनार्थ प्रेषित ।

3– अवर अभियन्ता, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल/अल्मोड़ा/रानीखेत को शैयडूल 'बी' तैयार करने हेतु प्रेषित।

4– समस्त सहायक अभियन्ता,कु0म0वि0नि0चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, काठगोदाम, रानीखेत को व्यापक प्रचार हेतु ।

5– अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल/अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

6– मुख्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।

7– अनुबन्ध पत्रावली हेतु ।

8– बेब साईड में अपलोड हेतु।

महाप्रबन्धक(नि0)